

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1487/2009/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शुभम् डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्ट्स लि०,  
बी-12, न्यू ग्रेन मण्डी, चांदपोल बाजार,  
जयपुर।

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे.आर.लोहिया – सदस्य  
श्री अमर सिंह – सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री वैभव कासलीवाल,  
उपराजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री एस.के.जैन,  
अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 23/05/2014**

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83, के अन्तर्गत अपील संख्या 132/आर.एस.टी./2002-03 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.07.2009 विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 03.12.1998 को वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा किया गया था। वक्त सर्वेक्षण वर्ष 1997-98 की लेखा पुस्तकें व्यवसाय स्थल पर मौजूद नहीं पायी गयी अतः मौके पर ही अधिनियम की धारा 77(1) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 04.12.1998 को लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने हेतु जारी कर तामील करवाया गया। इसके बाद और भी नोटिस जारी किये गये किन्तु व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए तब कर निर्धारण अधिकारी ने पंजाब राज्य के एक्साइज एण्डटेक्संशन अधिकारी वार्ड 8 राजपुरा से प्राप्त सूचना के आधार पर नोटिस जारी कर कारण पूछा गया कि उनके द्वारा आलोच्य अवधि के दौरान पंजाब की फर्म मैसर्स सीफेम मिल्क स्पेशलिटीज लि. डेराबस्सी (पंजाब) से "सीफेम ब्राण्ड" देशी घी रूपये 52,86,400/- का खरीदा है परन्तु उसके सत्यापन हेतु नियमित लेखा-पुस्तकें बार-बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी पेश नहीं की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर द्वारा आलोच्य अवधि के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.08.1999 को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विक्रय विवरणी एस.टी. 5ए के आधार पर करयोग्य माल की बिक्री के अभाव में शून्य मांग से पारित किया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेश में रूपये 52,86,400/- की करयोग्य खरीद पर करारोपण छूट जाने के कारण अधिनियम की धारा 30, 58 एवं 65 के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2000 को पारित किया गया एवं कुल आयातित करापवंचित खरीद रूपये 52,86,400/- के देशी





लगातार.....2

घी की खरीद पर 10 प्रतिशत खर्चा, मुनाफा आदि जोड़ते हुए रूपये 58,15,040/- की करापवंचित "सीफेम ब्राण्ड" देशी घी की करयोग्य बिक्री पर 4 प्रतिशत से करारोपण, धारा 58 के तहत 22 माह का ब्याज एवं धारा 65 के अन्तर्गत करापवंचन कर की दुगुनी शास्ति आरोपित करते हुए कुल मांग रूपये 8,00,151/- कायम की गयी।


उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गयी जो आदेश दिनांक 21.07.2000 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण को इन निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को कटु परीक्षण सहित सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उक्त अवधि का ठोस आधार पर करापवंचन पाये जाने की स्थिति में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे। प्रत्यर्थी व्यवहारी को रिमाण्ड केस की सुनवाई हेतु समय-समय पर तारीख पेशी हेतु नियम 34 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये परन्तु बावजूद सूचना के प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही लेखा पुस्तकें पेश की गयी।

तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों से स्वीकृति लेकर एक्साईज एण्ड टैक्सेशन ऑफिसर वार्ड-8 राजपुरा से सम्पर्क किया गया तथा उनके द्वारा मैसर्स सीफेम मिल्क स्पेशलिटीज लि., डेराबस्सी (पंजाब) राजपुरा की जांच की गयी जिसमें मैनेजर द्वारा बयान अंकित किये गये जिसमें कम्पनी के मैनेजर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को माल विक्रय करने बाबत स्वीकारोक्ति की तथा विक्रय बिलों की फोटो प्रतियां जिसमें बिल्टी नं. एवं ट्रक संख्या का विवरण उपलब्ध कराया इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 30 सपठित नियम 34 के तहत नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही लेखा पुस्तकें प्रस्तुत की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा वर्ष 1997-98 का पुनः (Escaped assessment) कर निर्धारण दिनांक 16.04.2002 को पारित करते हुए कुल करापवंचित बिक्री रूपये 58,15,040/- पर 4 प्रतिशत कर रूपये 2,32,602/- धारा 58 के तहत 55 माह का ब्याज रूपये 2,55,862/- एवं धारा 65 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रूपये 5,21,968/- आरोपित करते हुए रूपये 10,10,432/- की कुल मांग कायम की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02.07.2009 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को कोई भी खरीद बिक्री प्रमाणीकरण के अभाव में एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये तर्कों, माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर एवं माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकार कर आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल ने अपनी बहस में बताया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने में भूल की है। यह कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजाब राज्य से फर्म मैसर्स सीफेम मिल्क






लगातार.....3

स्पेशिलिटीज लि. डेराबस्सी (पंजाब) से पूर्ण जांच कर उसके मैनेजर के बयान अंकित कर तथ्यात्मक जांच करने के बाद उक्त मांग कायम की गई थी। फर्म के मैनेजर द्वारा स्वीकार किया गया था कि उक्त माल प्रत्यर्थी व्यवहारी को ही बेचा गया है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में जांच में व्यवहारी ने सहयोग नहीं किया, ना ही कार्यालय में उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक तरफा आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था अतः सृजित मांग राशि पूर्णतया उचित है जिसे कायम रखा जाये एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय अनुचित व अविधिक होने से अपास्त किया जाए तथा विभाग की अपील स्वीकार की जाए।

5. प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस.के.जैन ने अपने तर्कों में बताया कि माल खरीदने, डिलीवरी लेने एवं बिक्री करने के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। यहां तक कि अपीलीय अधिकारी के निर्देशानुसार फर्म मैसर्स सीफेम मिल्क स्पेशिलिटीज लि. डेराबस्सी (पंजाब) की ओर से बिना किसी को बुलाये एवं बिना कोई कट्टा परीक्षण कराये यह एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा स्वयं के स्तर पर ही मैनेजर से जांच कर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। माल की डिलीवरी प्रत्यर्थी व्यवहारी को दी गई इसका कोई प्रमाण जांच में नहीं पाया गया ना ही माल का भुगतान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया है। इस संबंध में किसी प्रकार की जांच के अभाव में ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि तथाकथित बिक्री प्रत्यर्थी व्यवहारी को की गई है। अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार बिना डिलीवरी व भुगतान के साक्ष्य के अभाव में किसी भी माल की खरीद प्रमाणित नहीं की जा सकती। अपने कथन के समर्थन में (1) (1998) 65 STC 59 (RHC) M/s MEHTA & SONS V/s COMMERCIAL TAXES OFFICER, UDAIPUR, (2) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के खण्डपीठ निर्णय (2001) 8 सैल्स टैक्स टूडे 211 मैसर्स शिव मैच ट्रेडिंग कम्पनी, नसीराबाद विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन अजमेर (3) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 185/2007/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत जयपुर जोन-द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स रितेश कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर में खण्डपीठ निर्णय दिनांक 10.06.2011, (4) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 612/2008/जयपुर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स मिल्क वीटा डेयरी प्रोडक्ट्स, जयपुर में खण्डपीठ निर्णय दिनांक 20.12.2012 एवं (5) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 812/93/एसटी/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत प्रथम, जोधपुर बनाम मैसर्स न्यू हिन्दुस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स, जोधपुर में खण्डपीठ निर्णय दिनांक 15.12.99 आदि न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कथन किया कि बिना समुचित जांच के अपीलार्थी की खरीद साबित नहीं होती है। अतः आरोपित मांग पूर्णतया निराधार एवं अविधिक है जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।



विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस को आगे बढ़ाते हुए यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय (1992) 85 एस.टी.सी. 59




मैसर्स मेहता एण्ड संस बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि जब तक ड्राईवरो से जांच न कर ली जाये कि उन्होंने माल की डिलीवरी कहां दी तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा माल का इम्पोर्ट किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के विरुद्ध जो आवृत्त थोपा गया है उसके संबंध में न तो कोई एस.टी. 18ए प्रपत्र और न ही 'सी' फार्म जारी किये गये। माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा दिये गये निर्णय, वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त प्रथम, जोधपुर बनाम मैसर्स न्यू हिन्दुस्तान डेयरी प्रोडक्ट, जोधपुर निर्णय दिनांक 15.12.1999 एवं अपील संख्या 228/01 एवं अपील संख्या 229/01 रामप्रसाद बाबू लाल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्णय दिनांक 06.02.2002 के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी तर्क है कि करारोपण अविधिक होने के कारण शास्ति आरोपण स्वतः ही अविधिक है। जब तक प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध सक्षम साक्ष्य से साबित नहीं कर दिया जावे कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा उक्त माल मंगाया गया था, तब तक केवल मात्र अनुमान के आधार पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा धारा 25 एवं 26 की पूर्ण पालना करते हुए त्रैमासिक बिक्री प्रपत्र सद्भावी आचरण में प्रस्तुत किये गये। अतः अतिरिक्त कर निर्धारण के आधार पर धारा 58 के तहत ब्याज आरोपित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अन्त में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 02.07.2009 की पुष्टि की जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन संभाग-द्वितीय जयपुर (कर निर्धारण अधिकारी) द्वारा प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण दिनांक 03.12.1998 को किया गया था। यह सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी को पंजाब राज्य के राजपुरा के आबकारी व करधान अधिकारी वार्ड-8 द्वारा पत्र संख्या 78 दिनांक 27.11.1998 जो कि राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग के संभाग द्वितीय, जयपुर के उपायुक्त द्वारा अर्धशासकीय पत्र दिनांक 17.11.1998 के प्रत्युत्तर में जारी किया गया है, के आधार पर किया गया था। पंजाब राज्य के अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विक्रेता मैसर्स सीफोम मिल्क स्पेशियलिटीज लि०, चडीगढ के सहायक प्रबंधक, वित्त द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.11.1998 जिसमें 01.04.1996 से 31.10.98 के बीच फर्म द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रीत माल की विगत उपलब्ध कराई गई है, प्रति संलग्न की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसी सूचना के आधार पर प्रत्यर्थी को आलौच्य अवधि में खरीद पर लाभांश जोड़कर करारोपण हेतु नोटिस जारी किया तथा प्रत्यर्थी द्वारा रेकड उपलब्ध नहीं कराने तथा लिखित प्रत्युत्तर को विचारित करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2000 को पारित किया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा की गई कथित खरीद के पुख्ता सबूतों के आधार पर सुनवाई का

अवसर प्रदान कर करापवंचन पाये जाने पर करारोपण हेतु प्रकरण को आदेश दिनांक 21.07.2000 को प्रतिप्रेषित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश की पालना में प्रत्यर्थी को जारी नोटिस दिनांक 27.02.2001 सुनवाई तिथि 15.03.2001 में अंकित किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजाब जाकर पुनः प्रत्यर्थी की विक्रेता कम्पनी के मैनेजर के दिनांक 27.09.2000 को बयान दर्ज करने तथा उनके द्वारा माल प्रत्यर्थी को सप्लाई करने के प्रमाण स्वरूप विवादित 6 बिलों की प्रतियां, मैसर्स बस्सी मुबारकपुर ट्रक ओपरेटर यूनियन की बिल्टी संख्या 4332 दिनांक 23.03.98, 3828 दिनांक 17.03.98, 3540 दिनांक 14.03.98, 4327 दिनांक 10.03.98 तथा 3176 दिनांक 14.03.98 तथा माल परिवहन जरिये ट्रक संख्या क्रमशः एचआर 018/7455, HYM 7355, HYM 921, HYO 3444, PB 11D/8298 एवं 3074 के जयपुर माल भिजवाया बताया गया। नोटिस के साथ कम्पनी मैनेजर के बयान दिनांक 27.09.2000 सेल्स स्टेटमेंट की फोटो प्रति एवं वर्ष 97-98 से संबंधित बिलों की फोटो प्रतियां संलग्न कर प्रत्यर्थी से लेखा पुस्तके वास्ते जांच प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में प्रत्यर्थी के विक्रेता के मैनेजर के दर्ज बयान, बिलों की छाया प्रतियां एवं बिल्टियों से संबंधित कोई रेकड उपलब्ध नहीं है न ही दिनांक 15.03.2001 को सुनवाई संबंधी आदेशिका संलग्न है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में प्रत्यर्थी एवं उसके विक्रेताओं को प्रतिपरीक्षण हेतु जारी नोटिस सुनवाई तिथि 16.04.2002 भी पृष्ठ 67 व 68 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी पर नोटिस दिनांक 06.04.2002 को तामील होना पाया जाता है तथा मैनेजर मैसर्स सीफेम मिल्क स्पेशियलिटीज लि०, डेराबस्सी को दिनांक 04.04.2002 को पंजीबद्ध पावती शेष जारी किया जाना पाया जाता है जिसकी तामील की पावती पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है न ही पत्र लौट आने का सबूत है। सुनवाई तिथि को किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 97-98 से संबंधित लेखा पुस्तके कभी भी वास्ते सत्यापन प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रतिप्रेषित वाद के निस्तारण में कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया है। अपीलीय आदेश में खरीद बिक्री के प्रभावीकरण के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग को अपास्त किया गया है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने इस तथ्य की कोई जांच की है कि प्रत्यर्थी ने उसके कथित विक्रेता को माल किन घोषणा पत्रों से क्रय किया है, माल का भुगतान किसके द्वारा किया गया है। बिल्टियों में वर्णित वाहनों से माल की सप्लाई किसे दी गई है ? इसके अलावा प्रत्यर्थी को कथित विक्रेता से प्रतिपरीक्षण भी नहीं कराया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित कर खरीद के पुख्ता सबूतों के आधार पर करापवंचन पाये जाने पर करारोपण की कार्यवाही के निर्देश दिये थे लेकिन रेकार्ड पर उपलब्ध ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिनसे प्रत्यर्थी द्वारा क्रय प्रमाणित होता हों ऐसी स्थिति में इस पीठ के सुविचारित मत में बिना पर्याप्त सबूतों के कथित विक्रेता के मैनेजर के बयान, जारी बिलों, बिल्टियों व वाहन नम्बरों (जो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं) प्रत्यर्थी पर माल की खरीद मानकर करारोपण नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह)

सदस्य

(जे.आर.लोहिया)

सदस्य  
23/05/14